Fourteenth Loksabha

Session : 11
Date : 16-08-2007

Participants : Yadav Shri Parasnath

>

Title: Need to change the terms of conditions of wages under National Rural Employment Guarantee Scheme with a view to provide daily wages to the workers engaged under the scheme.

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : महोदय, रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मजदूर को पूरे दिन का कार्य निश्चित कर दिया जाता है। उसी के अनुरूप इस योजना के तहत सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। परन्तु मजदूर एक दिन में उस काग्र को नहीं कर पाता है जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा पूरे दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। अतः ग्राम पंचायतों को रोजगार गारंटी योजना के तहत उक्त काम के लिए स्वीकृत धनराशि से ज्यादा का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100/- रूपए मजदूरी निर्धारित की गई है। यदि मजदूर को दिये गये कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है तथा धनराशि के अभाव में उसकी मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है तो वह अपने शोाण करने की बात कह कर शिकायत कर देता है। जिससे ग्राम पंचायतों को निर्धारित कार्य को उक्त योजना के तहत स्वीकृत की गयी निश्चित धनराशि में पूर्ण करवाने में परेशानी होती है।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में मेरा अनुरोध है कि उक्त योजना की नीति में परिवर्तन किया जाये तथा मजदूर को दिन के हिसाब से मजदूरी देने की व्यवस्था लागू की जाये।